

2025/1073
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

नरसारांम आदि बनाम तहसीलदार धोद
क्रि.सं. मुकदमा 136LR मु.नं. 576 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
11/12/25	<p>प्रार्थीगण नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 28 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसी पुत्र बालूराम, भागूराम पुत्र बालूराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 29 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसीराम पुत्र बालूराम, भागूराम पुत्र बालूराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 63 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसीराम पुत्र बालू, भागूराम पुत्र बालू दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थीगण के नाम की उक्त प्रविष्टियां क्रमशः नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसी पुत्र बालूराम, भागूराम पुत्र बालूराम/नरसीराम पुत्र बालूराम, भागूराम पुत्र बालूराम/नरसीराम पुत्र बालू, भागूराम पुत्र बालू के स्थान पर प्रविष्टियां क्रमशः नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1809 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 28 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसी पुत्र बालूराम, भागूराम पुत्र बालूराम के स्थान पर प्रविष्टियां क्रमशः नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 29 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसीराम पुत्र बालूराम, भागूराम पुत्र बालूराम के स्थान पर प्रविष्टियां क्रमशः नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 63 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः नरसीराम पुत्र बालू, भागूराम पुत्र बालू के स्थान पर प्रविष्टियां क्रमशः नरसा राम पुत्र बालू राम, भगवान सिंह पुत्र बालू राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1809 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

